04/6/26

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उक्त क्र
उप./ प्रा.पत्र शामिल किया जाता है विस्तृत
रिपोर्ट शामिल किया गया तहरीर जारी हो
नंबर से जरिए हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2026/314

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 118/2026 GCMS-2026/314 दायर दिनांकः—22—05—2026

1— पालाराम } पिसरान श्री बृजलाल जाति नायक साकिन किकरवाली तहसील रायसिंहनगर हाल
2— बनवारीलाल } चक 10 आर डी , 2 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3— लाधुराम पुत्र श्री देदाराम जाति नायक साकिन किकरवाली तहसील रायसिंहनगर हाल 10 आर डी , 2 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर ———————प्रार्थीगण

बनाम

1— देवीलाल
2— पूर्णनाथ } पिसरान भादरनाथ जाति नाथ साकिन रघुनाथपुरा
3—राजूनाथ } तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
4— सोहननाथ

5— विद्यादेवी पत्नी भादरनाथ जाति नाथ साकिन रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

6— शाखा प्रबन्धक पी एन बी बैंक शाखा रघुनाथपुरा

7— राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

——————अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :—

1— श्री रामप्रताप तिवाड़ी , कमल शर्मा , राजेन्द्र कुमार अभिभाषक प्रार्थीगण
2— श्री राजवीर भादू , ममता बावरी अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 ता 5
3— पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न0 7

—:— निर्णय —:—

दिनांकः— 04.06.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण , अप्रार्थी न0 1 ता 4 के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से भूमि चक 2 आर एम की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता स0 47/39 के प0न0 154/43 मु0न0 43 के किला न0 1/1 ता 13/3 में 2.445 है0 तथा प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला न0 1/1 ता 10 में 1.847 है0 इस प्रकार कुल 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थी न0 1 ता 5 के नाम चक 2 आर एम की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता स0 58/52 के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला न0 11 ता 25 में 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि वाके चक 2 आर एम के प0न 154/51 के मु0न0 44 के किला न0 1 ता 10 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प0न0 154/51 मु0न 44 के किला न0 11—20—21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण होते हुये आवागमन किया जा रहा है । प्रार्थीगण उक्त रास्ता मन्जूर करवाना चाहते है । उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि प0न0 154/51 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम में रास्ता हेतू दी गई है जिससे अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन किया जा रहा है । इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में चल रहे रास्ता को दोनो पक्षो के द्वारा अपनी आपसी सहमति के द्वारा स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 ता 5 जरिये अभिभाषक राजवीर भादू , ममता बावरी उपस्थित हुये ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि वाके चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम एवं अप्रार्थीगण की भूमि वाके चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला न0 11 –20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण में चल रहे रास्ता को दोनो पक्षो के द्वारा अपनी आपसी सहमति के द्वारा स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

इसके पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी न0 1 ता 5 के अभिभाषक एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से भूमि चक 2 आर एम के खाता स0 47/39 की कुल 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थी न0 1 ता 5 के नाम चक 2 आर एम के खाता स0 58/52 की 3.795 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि वाके चक 2 आर एम के प0न 154/51 के मु0न0 44 के किला न0 1 ता 10 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प0न0 154/51 मु0न 44 के किला न0 11–20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण होते हुये आवागमन किया जा रहा है । उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि प0न0 154/51 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम में रास्ता हेतू दी गई है जिससे अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन किया जा रहा है । इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में चल रहे रास्ता को दोनो पक्षो के द्वारा अपनी आपसी सहमति के द्वारा स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि वाके चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा (पूर्व से पश्चिम) एवं अप्रार्थीगण की भूमि वाके चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला न0 11 –20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) में चल रहे रास्ता को दोनो पक्षो के द्वारा अपनी आपसी सहमति के द्वारा स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के नाम से भूमि चक 2 आर एम के खाता सं0 47/39 की कुल 4.301 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है । प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि वाके चक 2 आर एम के प0न 154/51 के मु0न0 44 के किला न0 1 ता 10 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प0न0 154/51 मु0न 44 के किला न0 11–20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण होते हुये आवागमन किया जा रहा है । उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि प0न0 154/51 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम में रास्ता हेतू दी गई है। पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

प्रार्थीगण के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है । अप्रार्थीगण की भूमि वाके चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला नं0 11 –20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण एवं प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि प0न0 154/51 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम में चल रहे रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम खातेदार भूमि चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला नं0 11 –20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) एवं प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि चक 2 आर एम के प0न0 154/51 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा (पूर्व से पश्चिम) कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.06.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ — seal)

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / राजस्व/प्रा.पत्र/118/26/04.06.26/ 3567 दिनांक :– 04.06.2026

तहसीलदार राजस्व

सूरतगढ

विषयः–अनवान प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्र0 सं0 118/2026 अनवान पालाराम वगैरह बनाम देवीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2026 की पालना करने हेतू ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम खातेदार भूमि चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 154/51 मु0न0 44 के किला नं0 11 –20–21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) एवं प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि चक 2 आर एम के प0न0 154/51 के किला न0 7 ता 10 प्रत्येक में 0.025 है0 दक्षिण पासा (पूर्व से पश्चिम) कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर नियमानुसार स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)